न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

इन्टीग्रल अरबन कॉ ऑपरेटिव बैंक बनाम विभूति शर्मा

प्रकरण संख्या 238/2017 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
19.09.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से काफी समय से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से धारा 14 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र अधूरा है। लॉन एग्रीमेंट आदि दस्तावेज आदिनांक तक प्रस्तुत नहीं किए गए है । अतः धारा 14 सरफेशी अधिनियम–2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को वांछित दस्तावेजों के अभाव में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक बाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	